रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1425-1426/2007

राजस्थान राज्य ... अपीलार्थी

बनाम

शिव चरण और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 302/149/148- के तहत दोषसिद्धि- विचारण न्यायालय द्वारा- जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा- उच्च न्यायालय ने धारा 323 के तहत एक की दोषसिद्धि को स्वीकृति दी और अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर सजा को घटाकर एक वर्ष कारावास कर दिया कि घातक चोट फरार आरोपी ने कारित की थी और शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था- अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय का निर्णय किसी सबूत पर आधारित नहीं था और इसलिए विकृत- यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य कार्यवाही में तब्दील हो गया और उस

विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य अपने मिशन में सफल हो गए। धारा 149- सामान्य उद्देश्य- का आह्वान- चर्चा की गई। आपराधिक मुकदमा- अभियुक्त के शरीर पर लगी गंभीर चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है, लेकिन यदि चोटें मामूली प्रकृति की हैं, और यदि उनके विषय में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो भी अभियोजन पक्ष का मामला अविश्वसनीय नहीं होगा।

निर्णय

न्यायाधिपति डॉ. बी. एस. चौहान

1. ये अपीलें डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 1454 और 1458/2002 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 20.9.2005 के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके माध्यम से, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/149 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) और धारा 148 के तहत प्रत्यर्थियों की दोषसिद्धि को धारा 323 आई.पी.सी. में परिवर्तित कर दिया है, और सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा को भी एक वर्ष की सजा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

2. इन अपीलों को दायर करने के पीछे तथ्य और परिस्थितियाँ ये हैं किः

(क) बत्तीलाल (पी.डब्ल्यू.1) द्वारा बामनवास पुलिस स्टेशन में 28.8.2000 को सुबह के लगभग 9 बजे एक शिकायत दर्ज कारवाई गई थी कि उक्त दिन, उसका भाई प्रह्लाद (अब मृत), भैंसों को चरा रहा था। यहाँ प्रत्यर्थी ने महेश नामक व्यक्ति, जो अभी फरार है, के साथ प्रह्लाद पर हमला करके उसको घायल कर दिया। महेश ने प्रह्लाद के सिर पर रॉड से वार किया था, जबकि प्रत्यर्थी ने लाठियों से चोटें कारित की थी। अभियुक्त केदार ने प्रह्लाद को आरोपी द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के लिए धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका। प्रहलाद को तब स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से उसे जयपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

(ख) उक्त रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यर्थी और फ़रार महेश के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। प्रह्लाद के शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आवश्यक मेमो तैयार किए गए और अन्वेषण पूरा होने पर प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि, महेश के खिलाफ जांच लंबित रही, क्योंकि वह फरार था।

(ग) मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 15 गवाहों से पूछताछ की। प्रत्यर्थियों से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की

धारा 313 के तहत पूछताछ की गई (जिसे इसके बाद 'सी.आर.पी.सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है)। उन्होंने न केवल यह निवेदन किया कि वे बेगुनाह है बल्कि बचाव में एक गवाह से भी पूछताछ की। विचारण पूरा होने पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है।

(घ) प्रत्यर्थियों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलें दाखिल कीं, जिन्हें आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

इसलिए, ये अपीलें दाखिल की गईं हैं।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर सिंह ने तर्क दिया कि प्रहलाद (मृतक) के शरीर पर पाई गई गंभीर चोटों को देखते हुए, जो निर्विवाद रूप से मानव वध की प्रकृति की हैं, मामला निश्चित रूप से भा.दं.सं. की धारा 302/ 149/ 148 के तहत प्रत्यर्थियों को दी गई दोषसिद्धि को एक प्रत्यर्थी के लिए भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि प्रत्यर्थीगण हमलावर थे, और विचारण न्यायालय के समक्ष केवल क्रॉस केस विचाराधीन होने के कारण उच्च न्यायालय को इस तरह का उदार दृष्टिकोण रखने का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए, अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जी. के. बंसल ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है और यह महसूस करने पर कि यह एक स्वतंत्र लड़ाई थी, यह माना गया कि यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि वास्तविक हमलावर कौन थे? उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गए प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. मृतक प्रह्लाद के शव का पोस्टमार्टम डॉ. एन. के. मीना और डॉ. रमेश चंद गुप्ता (पी.डब्लू. 9) की टीम/बोर्ड द्वारा किया गया। रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) में निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटों का पता चलाः

(1) "कटा फटा 3" x 1/2"x हड्डी तक गहरा घाव- खोपड़ी के बीच में।

(2) नीलगू चोट 2"x 1/2" (दायीं) कलाई के जोड़ की दोनों हड्डियों पर।

(3) दाहिने कान के सामने खरोंच 1/2 x 1/2

(4) बाएं निचले अंग पर लंबाई में खरोंचे

चिकित्सकों की राय में, मौत का कारण खोपड़ी पर चोट के कारण सदमा था जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ।

7. प्रत्यर्थी शिव चरण के शरीर पर पाई गई चोटें इस प्रकार थीं:

(1) बाएं हाथ की हथेलियों के पृष्ठीय भाग पर छोटी उंगली की संधि से 1 सेमी नीचे सूजन के साथ खरोंच।

(2) खोपड़ी पर दाहिनी ओर पार्श्विका क्षेत्र पर सूजन के साथ खरोंच

(3) चोट के साथ पूरी पीठ दर्द की शिकायत।

8. प्रत्यर्थी केदार के शरीर पर पाई गई चोटें इस प्रकार थीं:

(1) खोपड़ी पर दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर कटा फटा घाव। खोपड़ी तक गहरा मुलायम जमा हुआ रक्त, 5 सेमी x ½ सेमी।

(2) खोपड़ी के केंद्र में 4 से. मी. x 1/2 से. मी. खोपड़ी की गहराई तक नरम थक्केदार रक्त का काटा फटा घाव।

(3) 2 सेमी x 2 सेमी सूजन के साथ बाएं पार्श्विका क्षेत्र में दर्द की शिकायत।

(4) दाहिनी भुजा में दर्द की शिकायत

9. रामधन मीणा (पी. डब्ल्यू. 2) ने गवाही दी कि जब प्रह्लाद सुबह भैंसों को चरा रहा था, तो महेश, लोहे की छड़ से लैस होकर सह-अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के साथ, जो लाठियों से लैस थे, वहाँ आया था। वे सभी प्रह्लाद को अपशब्द कहने लगे। महेश ने प्रह्लाद के सिर पर लोहे की छड़ से वार

किया था और शिव चरण ने उसके चेहरे के बाईं ओर लाठी से वार किया था। इसके बाद नेहरू ने प्रह्लाद को ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के लिए अभियुक्त- प्रत्यर्थी द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर के सामने धकेल दिया, लेकिन सफल नहीं हो सका। घायल प्रह्लाद को तब जयपुर के एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, क्योंकि उसका बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहा था।

10. खुशी चंद (पी. डब्ल्यू.5) ने कथन किया कि मृतक प्रह्लाद भैंसों को चरा रहा था। प्रत्यर्थीगण महेश के साथ एक ट्रैक्टर पर वहाँ आए थे। उन्होने प्रह्लाद के साथ झगड़ना शुरू कर दिया था। पहले महेश ने प्रह्लाद के सिर पर लोहे की छड़ से हमला किया था और उसके बाद प्रत्यर्थियों ने प्रह्लाद पर लाठियों से हमला किया था। गवाहों ने प्रह्लाद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपी उसे पीटने के बाद सड़क मार्ग से अपने ट्रैक्टर में बैठहकर वहाँ से भाग गए थे। प्रहलाद को तब एक गाड़ी में गंगापुर अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उसे जयपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

11. गोपाल (पी. डब्ल्यू. 4) और फूल चंद (पी. डब्ल्यू. 7) ने घटनाओं का वही विवरण दिया था, जो उस समय घटित हुई थी, क्योंकि वे भी प्रह्लाद (मृतक) के साथ अपनी भैंसों/मवेशियों को चरा रहे थे।

12. डॉ. शिव सिंह मीणा (पी. डब्ल्यू.15), जिन्होंने प्रह्लाद की घायल अवस्था में जांच की थी, ने उसकी चोटों को साबित किया है। डॉ. रमेश चंद गुप्ता (पी.डब्ल्यू.9), जो पोस्टमॉर्टम करने वाले बोर्ड के सदस्य थे, ने बयान दिया कि मस्तिष्क के चारों ओर की परत टूट गई थी। उनकी दाहिनी पार्श्विका हड्डी में फ्रैक्चर था, और दाहिनी त्रिज्या (रेडीयस बोन) और एलीना हड्डी में फ्रैक्चर था। उनकी राय में, मृत्यु का कारण मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव था। मृतक के सिर पर पाई गई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

13. अन्वेषण अधिकारी जितेंद्र जैन (पी.डब्ल्यू.12) ने सभी बरामदगियों को साबित किया और अन्वेषण से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ प्रत्यर्थियों द्वारा उसी घटना के संबंध में एक क्रॉस केस दर्ज किया गया था, क्योंकि उक्त घटना में आरोपी केदार और शिव चरण को भी चोटें आई थीं।

14. विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन किया है और उसके बाद, शिव चरण और केदार के इस कथन को खारिज कर दिया है कि आत्मरक्षा में कार्य करते हुए उन्हें क्रॉस केस में उल्लिखित चोटें आई थीं। न्यायालय ने गंभीर और अचानक उकसावे के सिद्धांत और इस बात को भी कि झगड़ा अचानक हुआ था और मार-पीट

बिना किसी पूर्व इरादे या योजना के शुरू हुई थी, को मानने से इंकार कर दिया। वर्तमान प्रकरण में यह भी सिद्ध हो गया है कि भूमि को गिरवी रखने के कारण दोनों पक्षों के बीच पहले से ही रंजिश थी। चोटों की गंभीरता और रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

15. उच्च न्यायालय ने अपीलों पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखा हैः

(i) प्रहलाद (मृतक) के सिर पर घातक चोट के लिए फरार आरोपी महेश को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ii) सूचना देने वाला बत्ती लाल, घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, उसने सुनी-सुनाई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई;

(iii) अभियुक्तों, विशेषकर अभियुक्त केदार को लगी चोटें बताती हैं कि शिकायतकर्ता पक्ष वास्तव में हमलावर था; और

(iv) शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ एक क्रॉस केस दर्ज किया गया था और वह लंबित था।

आरोपी केदार और शिवचरण को लगी चोटों की संख्या पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आसानी से यह

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जांच में कुछ नरमी बरती गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय बहुत अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि चूंकि घटना से ठीक पहले या यहां तक कि घटना के समय भी विचारों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था, इसलिए प्रत्यर्थीगण अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार थे। चूँकि मृतक के सिर पर एक घातक चोट पाई गई थी, जिसके लिए सह-अभियुक्त महेश, जो अभी फरार है, को जिम्मेदार ठहराया गया था, अतः दोषसिद्धि और सजा को यहाँ ऊपर बताए अनुसार परिवर्तित कर दिया गया था।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता का मुख्य प्रश्न 'आन्वयिक दायित्व' पर आधारित है जो इसके लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसमें अनिवार्य रूप से केवल दो तत्व शामिल हैं, अर्थात् (I) पाँच या अधिक सदस्यों वाले किसी भी विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया अपराध और (II) ऐसा अपराध उस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य (धारा 141 आईपीसी) के अनुसरण में किया गया होना चाहिए या उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता हो कि सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में ऐसा अपराध होने की संभावना है। यह आवश्यक नहीं है कि उस सामान्य उद्देश्य के लिए पहले बातचीत हो क्योंकि सामान्य उद्देश्य का गठन क्षण भर में हो सकता है। सामान्य

उद्देश्य का अर्थ ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया गया उद्देश्य या डिज़ाइन होगा और इसका गठन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। भले ही किया गया अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के सीधे अनुसरण में न हो, फिर भी यह आई.पी.सी. की धारा 149 के दूसरे भाग के अंतर्गत आ सकता है यदि यह साबित हो जाये कि अपराध ऐसा था, जिसके किए जाने की संभावना के विषय में उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता था। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्तियों का एक समूह भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए सशस्त्र होकर जाता है, तो यह माना जा सकता है कि किसी की हत्या होने की संभावना है, और विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों को उस संभावना के बारे में पता होगा और इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक को भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायालय को आईपीसी की धारा 149 के दोनों हिस्सों के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, और, एक बार जब यह साबित हो जाए कि विधिविरुद्ध जमाव का एक ही उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दिखाया जाए, बल्कि उन्हें प्रतिवर्ती दायित्व के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हालाँकि, यह निर्धारित करना प्रासंगिक हो सकता है कि क्या विधिविरुद्ध जमाव में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो केवल निष्क्रिय प्रत्यक्ष दर्शी थे और सभा के सामान्य उद्देश्य पर विचार किए बिना जिज्ञासावश उस

जनसमूह का हिस्सा बने थे। हालाँकि, यह केवल सावधानी का नियम है न कि कानून का नियम। इस प्रकार, केवल अन्य सदस्यों के साथ उपस्थिति या जुड़ाव ही उनमें से प्रत्येक को दूसरों द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत न हो कि प्रत्येक ने इस तरह के अपराध का इरादा किया था या उन्हे अपराध की संभावना का पता था, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 142 के तहत प्रावधान किया गया है। यह समूह प्रतिद्वंद्विता या अचानक या स्वतंत्र लड़ाई या सामान्य उद्देश्य से परे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के कृत्य का मामला भी नहीं हो सकता है। (**बलादीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181; **मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202; **चंद्र बिहारी गौतम और अन्य बनाम बिहार राज्य**, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1836; **रमेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 169; **रामचंद्रन और अन्य बनाम केरल राज्य**, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3581; **ओंकार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2012) 2 एस. सी. सी. 273; **रॉय फ़र्नांडेज़ बनाम गोवा राज्य और अन्य**, ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1030; और **कृष्णप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**, ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2946 देखें)।

17. इस प्रकार, भा.दं.सं. सी. की धारा 149 के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि (i) पाँच व्यक्तियों का समूह था; (ii) उस विधिविरुद्ध जमाव का एक सामान्य उद्देश्य था; और (iii) उक्त सामान्य उद्देश्य भा.दं.सं. सी. की धारा 141 में निर्दिष्ट पाँच अवैध उद्देश्यों में से एक या अधिक को शामिल करना था। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि वास्तव में सभी प्रत्यर्थीगण एक ट्रैक्टर पर एक साथ आए थे। उन्होंने प्रह्लाद (मृतक) को अपशब्द कहना शुरू कर दिया था। फरार आरोपी महेश ने प्रह्लाद (मृतक) के सिर पर लोहे की छड़ से वार किया था और प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने उसे लाठियों से भी पीटा था। महेश द्वारा सिर पर पहली चोट पहुँचाने के बाद भी, वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा पिटाई जारी रही और उसके बाद, आरोपी भाग गए। इसलिए, इस तरह की तथ्य-स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट है कि पाँच व्यक्ति पूरी तरह से सशस्त्र होकर एक वाहन में आए थे और उन सभी ने प्रह्लाद को चोट पहुंचाई, जिसने ऐसी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। यहां, यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य कार्यवाही में तब्दील हो गया और उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य अपने मिशन में सफल हो गए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण कि प्रत्यर्थीगण सामूहिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं, विकृत होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

18. उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि यह मामला एक ऐसा मामला था जहां झगड़ा अचानक हुआ था, और इसलिए, भा.दं.सं. सी. की धारा 148 और 149 के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते है; शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था; और अन्वेषण में कुछ नरमी बरती गई थी। इस तरह के निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं, और इसलिए, इन्हे विकृत घोषित किया जाता है।

19. जहाँ तक आरोपी शिव चरण और केदार के शरीर पर पाई गई चोटों का संबंध है, शिव चरण की चोटें केवल खरोंच हैं। डॉ. एम. के. मीना (डी. डब्ल्यू.1) का मत था कि केदार के शरीर पर पाई गई चोटें पत्थर पर गिरने से लग सकती हैं और उसकी कुछ चोटें मामूली प्रकृति की थीं। विचारण न्यायालय ने मोहनलाल (डी. डब्ल्यू. 2) के बयान का संदर्भ लेते हुए उक्त आरोपियों को लगी चोटों के मुद्दे का निस्तारण किया, जिसने कहा था कि सभी आरोपी व्यक्ति एक दावे के मामले में ट्रैक्टर पर जा रहे थे। उक्त गवाह भी उनके साथ था और जब वे बंदावल के पास पहुंचे तो 6-7 लोगों ने ट्रैक्टर को घेर लिया और उसे रोक दिया। उन्होंने केदार और शिव चरण को पीटना शुरू कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। दरअसल, जब सभी आरोपी व्यक्तियों के बयान सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे, तब सभी आरोपी व्यक्तियों का यह सतत तर्क रहा है। किसी भी आरोपी ने यह नहीं बताया कि प्रह्लाद

(मृतक) को चोटें कैसे कारित की गईं। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थीगण-आरोपी हमलावर थे और वे संख्या में पांच थे और वे सभी सशस्त्र थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य का संदर्भ दिए बिना विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को पलटना न्यायोचित नहीं है।

20. अभियुक्त के शरीर पर गंभीर चोटों के विषय में स्पष्टीकरण न देना अभियोजन मामले के लिए घातक हो सकता है। लेकिन जहां अभियुक्तों को लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा उचित स्पष्टीकरण के अभाव में भी अभियोजन पक्ष अविश्वसनीय नहीं हो जाएगा। (**लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2012) 11 न्यायाधीश एस. सी. सी. 158 देखें)

21. इस न्यायालय ने **मनो दत्त और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2012) 4 एस. सी. सी. 79 में इस विवाद्यक पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "38. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उठाया गया प्रश्न आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने के प्रभाव के संबंध में है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि

सामान्य नियम यह है कि जब भी अभियुक्त को उसी घटना में चोट लगती है जिसमें शिकायतकर्ता को चोट लगी है, तो अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को लगी चोट के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन, बिना किसी अपवाद के यह नियम नहीं है कि यदि अभियोजन स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो अभियोजन का मामला विफल हो जाएगा।

39. इससे पहले कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण ना देने को अभियोजन पक्ष को प्रभावित करने वाला माना जाए, न्यायालय को दो शर्तों के अस्तित्व से संतुष्ट होना होगा:

(i) कि अभियुक्त व्यक्ति के शरीर पर लगी चोटें भी गंभीर प्रकृति की थीं; और

(ii) कि ऐसी चोटें संबंधित घटना के समय लगी थी।

40. जहाँ साक्ष्य स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय है; और जहाँ न्यायालय सच और झूठ को पहचान पा रहा है, तो केवल यह तथ्य कि अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के विषय में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया

है, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में राजेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 298, राम सुंदर यादव बनाम बिहार राज्य, (1998) 7 एस. सी. सी. 365 और विजयी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1990) 3 एस. सी. सी. 190 का उल्लेख किया जा सकता है।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के स्पष्टीकरण के मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और इनको अनुमति प्रदान की जाती है। हमारे समक्ष प्रस्तुत आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा ना होने की स्थिति में, गंगापुर शहर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) को उन्हें हिरासत में लेने और सजा के शेष हिस्से को पूरा करने के लिए उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया जाता है। आदेश की एक

प्रति सूचना और अनुपालन के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), गंगापुर शहर को भेजी जाए।

न्यायाधिपति [डॉ बी. एस. चौहान]

न्यायाधिपति [दीपक मिश्रा]

नई दिल्ली;

1 जुलाई, 2013

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।